

ज्यार्हालय भूमि बवाइस विधारी, कार विकास परियोजना, जयपुर।

॥ जयपुर विकास प्राधिकरण भवन ॥

इमारक: ४८/३/नाइ७।

दिनांक 13-6-1991

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को बप्ने कर्त्त्वों के निर्दल
व विकास कार्यक्रम के लियान्तराल हेतु ग्राम धाउवान
में भूमि बवाइस बाकी। [प्रधानमंत्री नगर योजना]

मुद्रण नं०

- १. 166/८८
- २. 167/८८
- ३. 168/८८
- ४. 169/८८

— अ व ड :-

उपरोक्त विधानसभात भूमि को बवाइस हेतु राज्यसरकार के
नगरीय विकास एवं बायातन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि बवाइस
विधीनियम (३९४) १९४४ का केन्द्रीय विधीनियम संख्या-१। की धारा-५
के सहत इमारक नं. ६/१५/नविवा/१/८७ दिनांक ६-१-१९८८ तथा
गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र ७ जुलाई, १९८८ को कराया गया।

भूमि बवाइस विधारी द्वारा इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार
को भेजने के उपरात राज्य सरकार ने नगरीय विकास एवं बायातन विभाग
द्वारा भूमि बवाइस विधीनियम की धारा-६ के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा
६ का गजट प्रकाशन इमारक नं-६/१५/नविवा/३/८७ दिनांक २३-७-८७ का
प्रकाशन राजस्थान राजपत्र ३१ जुलाई १९८७ को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं बायातन विभाग द्वारा
जो धारा ६ के गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम धाउवान तहसील
जयपुर में बवाइसद्वीन भूमि की स्थिति एवं प्रकार बताई गई है :-

अन्तर्गत मुद्रण नं. छारा नं. बवाइसद्वीन खातेदार/हस्तारा/नाम
भूमि का
रक्षा
बो०-८०

1. 2. 3. 4. 5.

223 मिन 00-06
233 मिन 02-00
2. 167/88 221 00-17
2168/88 222 मिन 00-14
4. 169/88 225/2 मिन 00-01
231 मिन 00-06

रामनारायण नाच्छा पि. गिरधारी, कौम.
रेगर ता. देह.
उपरोक्त
उपरोक्त
भारता पु. पेमा जाति रेगर, ता. देह
बातेदार मु. क.
छन्मान, रामबन्धु, भगवान पि. जगन्नाथ जाति, रेगर
दयाल, नायिया, घीस्वा, मीवा, छोटिवा, पि. मोहन
जाति रेगर
उपरोक्त

मुकदमा नं. 166/88 खसरा नं. 220 रक्षा। बीघा 06 विस्वा, खसरा नं. 223 मिन
रक्षा 00-06 विस्वा, खसरा नं. 233 मिन रक्षा 02 बीघा:-

धारा 6 के गबड़ नोटिफिकेशन में खसरा नं. 220, 223 मिन व 233 मिन तुज्जा, प्रभात, रामकवार, रामनारायण नाच्छा पि. गिरधारी कौम रेगर ता. देह के नाम पर दर्ज हैं। केन्द्रीय मूमि ग्रवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत बातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 23.2.91 को रजिस्टर्डी. द्वारा जारी किया गया। जिनकी समीक्षा प्राप्त हो चुकी है जो मिस्त्रील सामिल है तथा दिनांक 23.2.91 को ही जारी नोटिस तामील कुनिन्दा द्वारा बातेदारान/हितदारान के परिवार के व्यस्थ तदस्य को तामील कराया गया जो उनके परिवार के साथ रहते हैं तथा तमाचार पत्र राजस्थान एवं नव्वा राजस्थान टाइम्स के मार्गम से ही दिनांक 20.3.91 को धारा 9 व 10 के नोटिस प्रकाशित कराया गया।

दिनांक 25.3.91 को दावेदारान/हितदारान तुज्जा, प्रभात, रामकवार, श्री मतेंगी श्रीरी देवी पत्नी नारायण नाच्छा की ओर से वकील श्री सत्यदेव शर्मा उपस्थित होकर बकालतनामा के साथ नोटिस का जबाब पेश किया जिसमें मूमि को श्री शांति नगर मु. निल. तमिति निल. जयशुर को 1981 में विक्रय किये जाने का जिक्र किया गया है।

दिनांक 16.4.91 को तमिति के संयोजक श्री रामनारायण को धारा 9 व 10 का नोटिस जारी किया गया, तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार घस्था कराया गया तथा नोटिस धारा 9 व 10 का रजिस्टर्डी. द्वारा दिनांक 16.4.91 को प्रेषित किया गया लेकिन हितदारान व तमिति की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही रेलम पेश किया। अतः उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अज्ञन-में अग्रल में लायी गयी।
मुकदमा नं. 167/88 ख. नं. 221 रक्षा 00-17 विस्वा भारता पु. पेमा जाति रेगर ता. देह बातेदार मु. क.

धारा 6 के गबड़ नोटिफिकेशन में खसरा नं. 221 भारता पु. पेमा जाति रेगर ता. देह बातेदार मु. क. के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय मूमि ग्रवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत बातेदारान/हितदारान को नोटिस किया कुमारः..... 3

दिनांक 23. 2. 91 को रजिस्टरेशन द्वारा बारी किया गया जिनकी रक्षादे प्राप्त हो चुकी है जो मिल तामिल है तथा दिनांक 23. 2. 91 को बारी नोटिस तामील बुनिन्दा द्वारा बातेदारान/हितदारान के परिवार के व्यक्ति तदस्य को तामील से छारया गया जो उनके परिवार के साथ रहते हैं तथा बातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन राजस्थान विधिका व नकारत टाइम्स तमाचार पत्र के माहियम से भी दिनांक 20. 3. 91 को कराया गया।

दिनांक 25. 3. 91 को गदाधेदारान/हितदारान द्वारा तु.पेश बाति रेखर की ओर ते व्यक्ति श्री सत्येदेव शर्मा उपस्थित होकर कालनामा के साथ नोटिस का जबाब पेश किया जिसमें श्रमिकों की शांति नगर गु.नि.त. सभिति निः. जयपुर को 1981 में किये किए जाने का जिक्र किया गया है।

दिनांक 15. 4. 91 को^{तमिति के} संयोजक श्री रामनारायण शर्मा को धारा 9 व 10 का नोटिस बारी किया गया। तामील बुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस बातेदारान द्वारा यात्रा के साथ नोटिस का जबाब पेश किया जिसमें श्रमिकों की शांति नगर गु.नि.त. सभिति निः. जयपुर को 15. 4. 91 को दिया गया बाकूद सभिति की ओर ते बोर्ड उपस्थित नहीं हुए और ना ही क्षेत्र पेश किया। अतः बातेदारान व तमिति के किसी रूप तरफा कार्यकारी अभ्यास में लाभी नहीं।

मुद्रण नं. 168/११ द. नं. 222 मिन रखा ००-१५ विस्ता :-

धारा 6 के गवर्नर नोटिसिशन में उत्तरा नं. 222 मिन अनुमान, रामनगर, मगवान धि. बग्ननाथ बाति रेखर के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय श्रमिक उपायित अधिनियम को धारा 9 व 10 के अन्तर्गत बातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 23. 2. 91 को रजिस्टरेशन द्वारा बारी किया गया जिनकी रक्षादे प्राप्त हो चुकी है, जो मिल तामिल है तथा दिनांक 23. 2. 91 को बारी नोटिस तामील बुनिन्दा द्वारा बातेदारान/हितदारान के परिवार के व्यक्ति तदस्य को तामील से छारया गया तथा धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन तमस्कस्थ राजस्थान विधिका व नकारत टाइम्स तमाचार पत्र के माहियम से भी दिनांक 20. 3. 91 को कराया गया।

दिनांक 25. 3. 91 को बातेदारान/हितदारान द्वारा तमास्क, मवान धि. बग्ननाथ बाति रेखर की ओर ते व्यक्ति श्री सत्येदेव शर्मा उपस्थित होकर कालनामा के साथ नोटिस का जबाब पेश किया जिसमें श्रमिकों की शांति नगर गु.नि.त. सभिति निः. जयपुर को 1981 में किये किए जाने का जिक्र किया गया है। दिनांक 15. 4. 91 को तमिति के संयोजक श्री रामनारायण को धारा 9 व 10 को नोटिस द्वारा बातेदारान/हितदारान के सभिति के अभ्यास में उपस्थित बड़ी हुए और बाकूद के क्षेत्र पेश किया गया। ता. नोटिस बारी किया गया तामील बुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार बातेदारान द्वारा कराया गया तथा रजिस्टरेशन द्वारा बारी किया गया लेकिन हितदारान व तमिति की ओर ते

कोई उपस्थित नहीं हुर और ना ही बलेम भेजा किया गतः इनके विलम्ब सब तरका कार्यवाही अग्रल में लायी गयी ।

मुकदमा नं. 169/११ खसरा नं. 225/२ मिन रक्षा ००-०१ विस्ता खसरा नं. 23। मिन
रक्षा ००-०६ विस्ता

पारा ६ के गवर्नर नोटिफिकेशन में उत्तरा नं. 225/2 मिन. 23। किन
इयान, नाथिया, धोत्या, भोवा, छोटिया पि. शोहर जाति रेनर के नाम पर दर्ज है।
केन्द्रीय शूमि अवांछित अधिनियम की धारा ९ व १० के अन्तर्गत बातेदारान/हितदारान
को नोटिस जारी किया जो तामील कुनिन्दा भारा बातेदारान/हितदारान के परिवार
के व्यक्ति सदस्य को तामील कराया गया। तथा पारा ९ व १० का नोटिस रजि. ०.
र.डॉ. कर्मसु भी बातेदारान/हितदारान को दिया गया, जिसकी रसीदें विलों मिला
शामिल है। तथा पारा ९ व १० के नोटिस का प्रकाशन दिनांक २०.३.९१ को राजतत्वान
पत्रिका व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों के माध्यम से कराया गया।

दिनांक 25. 3. 91 को खातिदारान्/हितदारान् दयाल, नाथिया, पीस्या, ग्रीष्मा
छोटियां पि. मौरुण जाति रेगर की ओर ते वकील श्री तत्खेदेव शर्मा उपस्थित होकर
वकातनाम के साथ नोटिस का जवाब पेश किया जिसमें भूमि को जाति नगर यु. नि. त.
तमिति निः. जखुर को 1981 में विक्रय किये जाने का जिक्र किया गया है।

दिनांक 25.५.९१ को घारा ९, व १० को नोटिस तमिति के तंयोबहु श्री रामनारायण शर्मा को जारी किया गया है तभीत कुनिन्दा की रिपोर्टि के अनुसार बता कराया गया तथा नोटिस रवि०.६.डी दिनांक 15.५.९१ को भेजित किया गया लेकिन हितदारान व समिति की ओर ऐ कोई उपस्थित नहीं हुर और ना ही कोई बलेम पेश किया। अतः उनके विस्तृ एकतरका कार्यवाही अमल में लक्ष्यकी लावी रखी।

५ केन्द्रीय मूमि अधिकारित अधिनियम की पारा ९ ॥। ॥ के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमा त सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक १७.४.९१ को दिया गया जो तामील हुनिन्दा द्वारा २.५.९१ को तम्बन्धित तहसील, संचायत तमिति, नोटिस बोर्ड, ग्राम संचायत व सरपंच को दिये गये व चल्ला कराया गया।

गुरुवार निधरिण :-

कल्पे उपरात लम्ब-समय पर आयोजित नीटिट्टर्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया है क्षेत्र क्षेत्री द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार बघुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुर्खी राज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के लिए भी आतेशार को हुआ कर नेवोरोज्ज्वल नहीं किया गया।

पिभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लम्ब-समय पर ली गई निर्णय इन्हीं द्वारा पुर्खी राज नगर योजना के लिए है उनमें इन्हीं द्वारा पुर्खी राज नगर योजना के लिए भूमि के निर्धारण का तरीका या रा-4 कैम्पट नौरिटीज्ज्वेन के समय रोजस्ट्रोज्ज्वों द्वारा उत्तरेन में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है। पुर्खी राज नगर योजना में या रा-4 का कैम्पट नौरिटीज्ज्वेन वर्ष 1988 को हुआ था ३७-३-८८। इसीलिए पिभिन्न माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पारेन में 7 हुआ है 1988 को पिभिन्न उप पंजीयनों के यहाँ पुर्खी राज नगर योजना के लिए में भूमियों की रोजस्ट्रेज्ज्वेन की पर्याय दर थी उत्तर पर विवार करने के अन्तर्वर्त और कोई विवरण नहीं रहता है।

जोड़ा तक उपरोक्त छत्तीरा गंगा के आतेशारान/हितकारान की मुआवजा निर्धारण का प्रबन्ध है, उपरोक्त उनी मामलों में सु तरफा लार्पाटी होने के कारण स्व आतेशारान/हितकारान द्वारा कोई क्षेत्र नहीं करने के कारण आतेशारान/हितकारान की ओर ही मुआवजे की जाती ही मांग जा कोई प्रबन्ध नहीं उठता।

लेकिन नेहरूर जलीट्ट के सिद्धांशु के अनुसार इस लम्बन्ध में बघुर विकास प्राधिकरण निकले लिए भूमि ज्ञातिक की जा रही है का भी फ़ल इतने किया गया। बघुर विकास प्राधिकरण के सीधे ने पञ्च ब्रांक टोडो-या रा-4 के नौरिटीज्ज्वेन के समय आम याड्वाल में 14000/- से प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था इसीलिए यहाँ तक उनके पास का लम्बन्ध है वह दर उपरिकृत है।

हमने इस लम्बन्ध में उप पंजीयक स्वं तहतीलदार तहतीश बघुर के बांडे से अपने लक्ष्य पर भी जानकारी प्राप्त की तो आत हुआ कि या रा-4 के नौरिटीज्ज्वेन के समय भूमि को दर इतने अधिक नहीं थी। तहतीलदार जीप्रांक ने अपने दूष्ट ब्रांक ३-४-९१ द्वारा उप पंजीयक बघुर के यहाँ भी या रा-4 के नौरिटीज्ज्वेन के समय ज्ञात की विकल्प दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी हस्ती क्षेत्र के जात्यात की भूमि की मुआवजा राशि 24000/- से प्रति बीघा ही दर हे अवाई जारी किये थे।

~~अन्तिम अधिकारी
(लक्ष्य बघुर की ओर)
उपरान्त विकास प्राधिकरण
बघुर बघुर~~

गये सर्व जिलका झुमोदन राज्य सरकार है नी प्रा या ही मुका है। ज्यपुर विकास प्राधिकरण के अधिभाष्य श्री बेहोड़ येशा ने ओई टॉलिंग में उत्तर दें कर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यीक मुआवजा राशि 29000/- स्थ प्रौद्योगिक बीष की दृश्य से तथा की जाती है तो ज्यपुर विकास प्राधिकरण के ओई अपरित्त नहीं होगा क्योंकि हुए रम्य गूर्ह भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 29000/- स्थ प्रौद्योगिक बीष को दर है अर्थात् यही जैसे है।

अतः इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजे राशि 29000/- स्थ प्रौद्योगिक बीष की दर से दिया जाना उचित मानते हैं सर्व हम वह भी मानते हैं कि धारा 4 के गणट नोटिफिकेशन के रम्य भूमि को कोमल यही थी।

केन्द्रीय भूमि अपार्टमेंट अधिनियम के अन्तर्गत अर्थात् यार्ड वार्डिंग करने के तर्थ 2 वर्ष की तमाचारीय नियत है। लेकिन छातेदारान्वितदारान की धारा 9 व 10 के नोटिफिकेशन, तामिल हुनरन्दा, रीब-ए-डी-ए सर्व समापार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपरित्त नहीं होना ये क्षेत्र पेश नहीं करना इस बात का बोल्ड है कि पै अपना कोई यह प्रस्तुत नहीं करना चाहते। इतीहस सरकार कार्यालयों अमलमें ताई गई।

जहाँ तक पेड़, पौधे, तंडों, कुरुं एवं सर्व भूमि पर को इन्ह स्ट्रेप्पर का प्रयोग है छातेदारान द्वारा कोई तत्परीया पेश नहीं किया गया और ना ही ज्यपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से झुमोदन तकनीने पेश किये गये हैं। ऐसी उत्थित में स्ट्रेप्पर/पोद कोई हो। के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। जिसका निर्धारण बाद में जियपुरा से तकनीकी झुमोदन तकनीने प्राप्त होने पर विधार करके नियमानुसार निर्धारण किया जाएगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 29000/- स्थ प्रौद्योगिक बीष को दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भूगतान प्रीवी रूप से मालिकान ८० तम्बन्धों दस्तावेज़ पेश करने पर ही दिया जादेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अर्थात् का भाग है, के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अपार्टमेंट अधिनियम की धारा 23।।-ए।। सर्व 23।।-2।। के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ३० प्रौद्यात तोतिशियम सर्व ।।२ प्रौद्यात औतीरक्त राशि भी देय होगी। जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ किया गया है।

~~(६)~~ औतीरक्त निश्चिक मुआवजे सर्व तद्यम अधिकारी नगर भूमि सर्व भवन कर विभाग ने अपने पत्र अधिकारीक ७।।-५-७। द्वारा इस कार्यालय की मुआवजे किया गया है कि मुद्यों ताजगर योजना के तमस्त २२ ग्राम ज्यपुर नगर लंगुलन ग्राम

— —

तीमा में शीघ्रता है यह अतर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन इन्होंने यह दृष्टिना नहीं दी है कि अतर अधिनियम की धारा - 10(3) की अधिकृता प्रकाशित करवा दी है इसी नहीं ऐसी स्थिति में आई बेन्डीय भूमि आरोप अधिनियम के उल्लंघन पारित किये जा रहे हैं।

यह आई आज दिनांक 13-6-91 को पास्त कर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

संलग्न : परिवासिटी
मकान वालिया

०.१

~~मूल अधिनियम वित्त विभाग
नकार फिल्म विभाग द्वारा दिया गया है, जयपुर।~~
जयपुर विभाग प्राप्ति
जयपुर

यह आवाद आज दिनांक 19/1/91 को राज्य सरकार के प्रबंधांक एक-एक (१) नविड़ा/एन/पार्ट दिनांक 16/1/91 के द्वारा अनुमोदित होकर आप हुआ है। अतः रजस्ता नं० २२० २२३ मिन, २३३ मिन, २२१, २२२ मिन, २२५/१ निवार २३१ मिन वह आवाद दिनांक 19/1/91 को सौंह इजलास घोषित किया गया भाउर फाईल में किया जाता है। संचिव जाविष्ट का इस आवाद का एक उत्तर भिजावा जाने वाले वैकल्पिक लिए लिखवा जावे एवं १२(२) के गोटी जावे हैं।

०.१


भूमि अवासि अधिकारी
नाम विभास परियोजनाएँ
जयपुर

परिक्रमा "स" गणना राजिका ग्राम-पालिका

क्र. सं.	मुकदमा क्र.	बातेदार/हेतदार	छतरां	रक्षा मुख्यमंडल	तोलेशियम्	अतिरिक्त	ज्ञ. योग	व. क्र.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. 166/88		शूल्या, प्रभात, रामलुंबार रामनारायण, नानचा पि. गिरधारी कौम रेगर, ता. वह	220	01-06						
		-उपरोक्त-	223मि.	00-06						
		-उपरोक्त	233मि.	02-00						
				<u>03-12</u>	24,000/-	86,400/-	25,920/-	30,378/-	1,42,698/-	
2. 167/88		रथारता, पत्र पैमा जाति रेगर बातेदार, मु. क.	221	00-17	24,000/-	20,400/-	6,120/-	7,172/-	33,692/-	
3. 168/88		हनमान, रामबक्त, मण्डान पि. जगन्नाथ जाति रेगर	222मि.	00-14	24,000/-	16,800/-	5040/-	5,906/-	27,746/-	
4. 169/88		दयान, नारींया, चिर्या मोदा, छोटिया पि. मोहल्लजाति रेगर	225/2	00-01						
		-उपरोक्त-	231मि.	00-06						
				<u>00-07</u>	24,000/-	8,400/-	2,520/-	2,953/-	13,873/-	
				<u>05-10</u>	-	1,32,000/-	39,600/-	86,409/-	2,18,009/-	

नोट:- 1. तोलेशियम् 30% कालम 8 पर मुख्यमंडल राशि पर दिया गया है।

2. अतिरिक्त राशि 12% की गणना पारा 4818 का गलत दिनांक 7.7.88 से 11.6.91 तक की गई है।


 मुख्यमंडल अधिकारी
 (संघम अधिकारी)
 मुख्यमंडल अधिकारी
 जयपुर विकास प्रभारी
 जयपुर

कार्यालय भूमि ववाहिस्त विधारी, नगर विकास परिवोज्ञाए, जयपुर ।

॥ जयपुर विकास प्राधिकरण भवन ॥

इमारक: भूब/नावि/७।

दिनांक 13-6-1991

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को बफने कृत्यों के निर्वल एवं विकास नार्थक में क्रियान्वयन हेतु ग्राम धाउवास में भूमि ववाहिस्त बाबत । [पुष्पवीराज नगर योजना]

मुकदमा नं०

- १. १६६/३३
- २. १६७/३३
- ३. १६८/३३
- ४. १६९/३३

-: अ ल ड :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि को ववाहिस्त हेतु राज्यसरकार के नगरीय विकास एवं बावासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि ववाहिस्त विधिनियम 1894-1934 का केन्द्रीय विधिनियम संख्या-१ की धारा-५ ॥ ॥ के तहत इमारक प-६। १५। नविवा/१। १३८ दिनांक ६-१-१९८८ तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र ७ जुलाई, १९८८ को कराया गया ।

भूमि ववाहिस्त विधारी द्वारा इस की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरात राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं बावासन विभाग द्वारा भूमि ववाहिस्त विधिनियम की धारा-६ के प्रावधानों के सन्दर्भ धारा-६ का गजट प्रकाशन इमारक प-६। १५। नविवा/३। १३८ दिनांक २८-७-८९ का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र ३। जुलाई १९८९ को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं बावासन विभाग द्वारा जो धारा ६ को गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम धाउवास तहसील जयपुर में ववाहिस्तीन भूमि की स्थिति का प्रकार बताई गई है :-

इमारक मुकदमा नं० खारा नं० ववाहिस्तीन यातेदार/दस्तावेजीय भूमि का रक्का बो०-८०

1. 2. 3. 4. 5.

				रामनारायण, नाल्हा पि. गिरधारी, बीम रेगर ता. देह.
			223 मिन 00-06	उपरोक्त
			233 मिन 02-00	उपरोक्त
2.	167/88	221	00-17	राष्ट्रता श. पेमा जाति रेगर, ता. देह बातेदार मु. क.
	2168/88	222	मिन 00-14	हनुमान, रामगढ़, ग्रामदान पि. जगन्नाथ जाति, रेगर
4.	169/88	225/2	मिन 00-01	दयात, नाल्हा, घोर्त्या, श्रीवा, छोट्या, पि. वेहर जाति रेगर
		231	मिन 00-06	उपरोक्त

मुकदमा नं. 166/88 खतरा नं. 220 रक्षा । बीघा 06 विस्वा, खतरा नं. 223 मिन
रक्षा 00-06 विस्वा, खतरा नं. 233 मिन रक्षा 02 बीघा:-

धारा 6 के गब्ट नोटिफिकेशन में खतरा नं. 220, 223 मिन व 233 मिन
तुज्जा, कुआत, रामकवार, रामनारायण, नाल्हा पि. गिरधारी बीम रेगर ता. देह के नाम
पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि उपायित अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत बातेदारान/
हितदारान को नोटिस दिनांक 23.2.91 को रजि. र.डी. द्वारा जारी किया
गया। जिनकी रखीदे प्राप्त हो चुकी हैं जो मिल सामिल है तथा दिनांक 23.2.91
को ही जारी नोटिस तामील हुनिन्दा द्वारा बातेदारान/हितदारान के परिवार के
व्यस्य तदस्य को तामील कराया गया जो उनके परिवार के साथ रहते हैं तथा समाचार
पत्र राजस्थान एक्रिका व नकारात टाइम्स के माध्यम से ही दिनांक 20.3.91 को धारा
9 व 10 के नोटिस प्रकाशित कराया गया।

दिनांक 25.3.91 को दातेदारान/हितदारान तुज्जा, कुआत, रामकवार, श्री
मत्ती औरी देवी वत्ती नारायण, नाल्हा की ओर ते कील छी तत्क्षेत्र शर्षी उपस्थित
होकर वकालतनामा के साथ नोटिस का ज्ञाष्ठ ऐशा किया जिसमें भूमि को छो शांति
नगर गृ. नि. त. तमिति लिं. जयपुर को 1981 में विक्रय किये जाने का जिक्र किया गया है।

दिनांक 16.4.91 को तमिति के तीयोंचक छो रामनारायण को धारा 9 व 10
का नोटिस जारी किया गया, तामील हुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार यस्या कराया
गया तथा नोटिस धारा 9 व 10 का रजि. र.डी. द्वारा दिनांक 16.4.91 को प्रेषित
किया जैकिन हितदारान व तमिति की ओर ते कोई उपस्थित नहीं है और ना ही
बलम ऐशा किया। अतः उनके लियाक एक तरफा कार्यवाही ज्ञान-में अग्रल में लायी गयी।
मुकदमा नं. 167/88 ख. नं. 221 रक्षा 00-17 विस्वा ग्यारहा श. पेमा जाति रेगर ता.

② देह बातेदार मु. क.

धारा 6 के गब्ट नोटिफिकेशन में खतरा नं. 221 राष्ट्रता श. पेमा जाति रेगर
ता. देह बातेदार मु. क. के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि उपायित अधिनियम की धारा
9 व 10 के अन्तर्गत बातेदारान/हितदारान को नोटिस दिया गया।

दिनांक 23. 2. 91 को रजिस्टरेशन द्वारा जारी किया गया चिनही राजीदे प्राप्त हो चुकी है जो मिलन तामिल है तथा दिनांक 23. 2. 91 को जारी नोटिस तामील इनिन्दा द्वारा सतीदारान/हितदारान के परिवार के ब्यवहर सदस्य को तामील द्वारा गया जो उनके परिवार के लाभ रहते हैं तथा सतीदारान/हितदारान को भारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन राजस्थान पालिका व नक्कारत टाइम्स तमाचार एवं के माध्यम से श्री दिनांक 20. 3. 91 को कराया गया ।

दिनांक 25. 3. 91 को गदाधिकारान्/हितदारान् भारता गु.प्रेसा जाति
रेगर की ओर से कवीन श्री तत्पेदेव शर्मा उपस्थित होकर कालनामा से ताय नोटिस
का जहाज पेश किया जिसमें मूर्मि को की जाति नगर गु. नि. स. तमिति नि०. बम्बुर को
1981 में किये जाने का जिक्र किया गया है।

दिनांक 15.4.91 को^१ संयोजक भी रामनारायण शर्मा को धारा 9 व 10
का नोटिस बाटी किया गया। ताजीत कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस घटना
स्थिरावा गया तथा धारा 9 व 10 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं हुए और
15.4.91 को दिया गया बाकूद तमिति को ओर भे कोइ उपस्थित नहीं हुए और
ना ही कोई पेश किया। अतः छातेदारान व तमिति के किल्ड एवं तरका कार्यवही अभ्यं
में लायी गयी।

बुक्टमा नं. 168/८८ द. नं. 222 मिल रक्खा ००-१४ बिस्ता :-

धारा 6 के गबर्ट नोटिफिकेशन में सत्रा नं. 222 में द्वनुमान, रामवाल, मणवान पि. चमन्नाथ जाति रेवर के नाम सर दर्ज है। केन्द्रीय मूमि अवाधित अधिनियम को धारा 9 व 10 के उन्तर्भूत बातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 23.2.91 को राजी. ए.डी.एस. बाटी किया गया जिनकी रतीदे प्राप्त हो चुकी है, जो मिल आयित है तथा दिनांक 23.2.91 को बाटी नोटिस तात्त्वीक बुनिन्दा इतारा बातेदारान / हितदारान के परिवार के व्यस्क व्यक्ति को तात्त्वीक घराया गया तथा धारा 9 व 10 के नोटिस का उपाधान सम्बन्ध सभा राजस्थान पत्रिका व नकारत टाइम्स तमांगर एवं के माट्यम ते दिनांक 20.3.91 को घराया गया ।

दिनांक 25.3.91 को खातेदारान/हितदारान हुमान, रामबर्गत, बगपान
पि. बगन्नाथ चाहति रेगर की ओर से कर्तव्य भ्रष्ट शर्मा उपस्थित होकर बड़ालतनाया
के साथ नोटिस का जबाब पेश किया जिसमें भूमि को भ्री जाँचि नगर गु. नि. त. तमिति
जिलो. लखनऊ को 1981 में विक्रय किये जाने का विक्र किया गया है। दिनांक 15.4.91
को तमिति के संयोजक भ्री रामनारायण को धारा 9 व 10 के नोटिस लाभ समिति
के हाथ नोटिस भ्री लखनऊ फैसला लाभ लेकिन हितदारान व तमिति भ्री ओर से कोई
उपस्थित नहीं हुए और वह भ्री लौटा पेश किया गहरा- का नोटिस चारों किया गया
ताजीत दुनिनदा को रिपोर्ट के अनुसार घब्बा कराया गया तथा रजिल. एडी. नोटिस
भ्री दिनांक 15.4.91 को चारों किया गया लेकिन हितदारान व तमिति को ओर से

बोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही ब्लैम पेश किया गया। इनके विषद् सरकार का वार्षिक अमल में लायी गयी।

मुकदमा नं. 169/88 खतरा नं. 225/2 मिन रक्षा 00-01 विस्ता खतरा नं. 231 मिन रक्षा 00-06 विस्ता।

धारा 6 के बटे नोटिप्रेशन में खतरा नं. 225/2 मिन, 231 मिन द्वारा, नाधिया, घीस्या, गोवा, छोटिया वि. मोहर बाति रेगर के नाम पर दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवासित अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान्/हितदारान् को नोटिस जारी किया जो तामील कुनिन्दा धारा खातेदारान्/हितदारान् के परिवार के व्यक्त सदस्य को तामील कराया गया। तथा धारा 9 व 10 का नोटिस रजिस्ट्रेशन द्वारा भी खातेदारान्/हितदारान् को दिया गया, जिसकी रसीदें जिसमें मिल जाएंगी हैं। तथा धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन दिनांक 20. 3. 91 को राजस्वान विधिका व नवशारत टाइम्स तमाखार बड़ों के माटियम ते कराया गया।

दिनांक 25. 3. 91 को खातेदारान्/हितदारान् द्वारा, नाधिया, घीस्या, गोवा छोटिया वि. मोहर बाति रेगर की ओर ते कोल श्री तत्पेदेव शर्मा उपस्थित होकर कालनाम के ताथ नोटिस का जवाब पेश किया जिसमें भूमि को शार्ति नगर मृ. नि. र. समिति रजिस्ट्रेशन को 1981 में विक्रय किये जाने का जिक्र किया गया है।

दिनांक 25. 4. 91 को धारा 9 व 10 को नोटिस समिति के संयोजक श्री रामनारायण शर्मा को जारी किया गया है तामील कुनिन्दा डी रिपोर्ट के अनुसार यस्ता कराया गया तथा नोटिस रजिस्ट्रेशन दिनांक 15. 4. 91 को देखित किया गया जेकिन हितदारान् व समिति की ओर ते बोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही बोई ब्लैम पेश किया। इतः इनके विषद् सरकारका वार्षिक अमल में लम्फ़ों को लायी गयी।

केन्द्रीय भूमि अवासित अधिनियम की धारा 9 ॥। ॥ के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात् सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 27. 4. 91 को दिया गया जो तामील कुनिन्दा धारा 2. 5. 91 को तम्बन्धित तहतील, संचायत समिति, नोटिस बोई, ग्राम पंचायत व सरखंच को दिये गये व यस्ता कराया गया।

मुआक्षा निपटान :-

बड़ों तक पूर्णीराज नगर योजना में मुआक्षा निपटान का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवास विकास कियाग के आदेश क्रमांक प-6॥५॥८७ व दिनांक 1. 1. १९९३ द्वारा मुआक्षा की राशि निपटान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कमटी का गठन ज्ञासन तथिव राजस्व कियाग की अधिकता में किया गया था। जेकिन उक्त कमटी द्वारा पूर्णीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में भी ग्राम के मुआक्षा की राशि का निपटान नहीं किया गया। इस तम्बन्ध में इस कार्यलय के पत्र क्रमांक 353-355 द्वारा ज्ञासन तथिव नगरीय विकास एवं आवास विकास विकास जयपुर विकास जायकत महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं तथिव जयपुर विकास प्राधिकरण को भी निवेदन किया गया था कि विकास प्राधिकरण एवं तथिव जयपुर विकास प्राधिकरण की दुक्षिया, दुष्कृष्ट पर्याप्त करनी राज्य सरकार द्वारा बठित कमटी में मुआक्षा निपटान करने की दुक्षिया, दुष्कृष्ट पर्याप्त करनी।

इसके उपरात सम्बन्ध पर आयोजित विटिंग में भी मुआवजा निर्णय के रिस निवेदन किया गया लेकिन क्षेत्री घारा कोई मुआवजा निर्णय नहीं लगाया गया है।

इसी प्रकार ज्युरुर विकास प्राधिकरण घारा मुध्योरज नगर योजना के 22 आमों में स्थित भूमि के लिये भी लातेहार को हुला कर नेगोटियेशन नहीं किया गया।

पिंडित राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय घारा सम्बन्ध पर जो निर्णय हीन भूमि के मुआवजे निर्णय के रूप में प्रांतमालित किये हैं उनमें हीन भूमि के मुआवजे के निर्णय घा. तरीका घारा-4 के बाट नोटीफिकेशन के सम्बन्धित घोषणा के लिये घारा उत्तराखण्ड में लातेहार निर्णय माना गया है। मुध्योरज नगर योजना में घारा-4 का बाट नोटीफिकेशन दर्ता 1988 को हुआ था 27-7-88। इसीलिए पिंडित राज्यों के लिये मुध्योरज नगर योजना के लिये भूमियों की राजस्वलेखन ली गयी दर घा. उत्तर पर विवार करने के अतिरिक्त और कोई विफल नहीं रहता है।

इस उपरात छत्तरा नं० के लातेहार राज्यविभाग राज की मुआवजा निर्णय द्वा. प्रदत्त है, उपरात लगी आमतों में स्क तरका जारीदारी छोड़े के कारण स्वं लातेहार राज्यविभाग राज लौट करम भेज नहीं करने के कारण लातेहार राज्यविभाग राज की ओर ही मुआवजे की राजीव की आंग का कोई प्रबन्ध नहीं रखा।

लेकिन ऐसुरत बाटिया के उपरात के घुरा रहा सम्बन्ध में ज्युरुर विकास प्राधिकरण जिले रिस भूमि घारीका की जा रही है का भी पहल घारा किया गया। ज्युरुर विकास प्राधिकरण के उपरात के दस्तावेज दोडी-घारा/91/336 फिलाफ 3/6/91 घारा इस दम्भन्द में दूषित किया कि घारा-4 के नोटीफिकेशन के समय ग्राम याउदाह में 14239/-ला. प्रति बोपा के घुरा र भूमियों का पंजीयन हुआ था इसीलए यहाँ दक उनके पहल का उद्देश्य है यह दर उपरात है।

अब इस सम्बन्ध में उपरात की स्वं तहतीलकार तहतील ज्युरुर के बांदे उपरे स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की जाती हुआ कि घारा-4 के नोटीफिकेशन के सम्बन्ध भूमि की दर इसी अधिक नहीं थी। उत्तीलकार योग्यता ने अपने मुझों नोट फिलाफ 3-5-91 घारा उपरात की स्वं तहतील ज्युरुर के बांदे भी घारा-4 के नोटीफिकेशन के सम्बन्ध भूमि की उपरात की अधिक दर की जारी है।

लेकिन इस न्यायालय घारा में भी इसी देश के जातपाता की भूमि की मुआवजा राशि 24000/- रुपये बोपा ही दर हे अपार्टमेंट की -6

ज्युरुर विकास प्राधिकरण
नारा. लिनार फिलाफ
ज्युरुर विकास प्राधिकरण

गये स्वं विनका जनुमोदन रायद सरकार है भी इस प्रकार हो दूका है। अपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी श्री ऐरपी० मिश्र ने कोई बोलिंग में उत्तर ०५० दे भर मीडिक ल्प है वह निषेद्ध किया है कि योद मुआवजा राशि २४०००/- रु० प्रांत की कीट से तथा की जाती है तो अपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपरित्त नहीं होगा क्योंकि कुछ तमाद पूर्वे भी इसी न्यायालय द्वारा इस मूम्हे के आल-ए-आल के हेत्र में २४०००/- रु० प्रदेश बोधा का दर ते ज्ञाई चाहता है गये है।

योजनाः अतः इस मामले में भी इस मूम्हे की मुआवजे तो २४०००/- रु० प्रांत की कीट से दिया जाना उपर्युक्त नानते हैं स्वं इस तरह भी नानते हैं कि या रा ५ के गट नोटिटीफिकेशन के तमाद मूम्हे की कीमत यही ही।

केन्द्रीय मूम्हे ज्ञाई प्राधिकरण के अन्तर्गत ज्ञाई चाहता छरने के लिए २ वर्ष की तमायीष नियत है। लेकिन आतेदा राज्यविभाग द्वारा ९ व १० के नोटिट, तामिल नाडुन्या, राज्य-संडी० स्वं विवार प्रकाशन के द्वारा भी उपर्युक्त नहीं होता व कोई पेश नहीं छरना इस बात का दोलन है कि ऐ इसका कोई वह प्रस्तुत नहीं करना पात्ते। इसीलिए सू० तत्त्वा शर्पिता० अमलमें लाई गई।

जहा तक पेठ, पीछे, तेढ़े, कुर्स स्वं मूम्हे वर के अन्य स्ट्रेक्चर का अन है आतेदा द्वारा कोई तकनीका पेश नहीं किया जाता और नहीं ही अपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी त्वं है ज्ञावजे का निर्धारण नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्चरप्रौदी० कोई होइ के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जिसका निर्धारण द्वारा ये तकनीकी जनुमोदन तकनीकी प्राप्त होने पर विवार करके नियमानुसार निर्धारण किया जायेगा।

इस इस मूम्हे के मुआवजे का निर्धारण तो २७०००/-रु० प्रांत बोधा का दर है करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विविध रूप से मात्रिकान द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज पेश करने पर ही दिया जायेगा। मुआवजे का निर्धारण पार्टिक्यूलर "र" के अनुसार ही इस ज्ञाई का भाग है, के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

केन्द्रीय मूम्हे ज्ञाई प्राधिकरण की या रा २३१-४१ स्वं २३४१ के अन्तर्गत मुआवजे की उपर्युक्त राशि पर नियमानुसार ३० प्रतिशत लोतिपिक्य स्वं १२ प्रतिशत बीतीर्युक्त राशि भी देय होगी। जिसका निर्धारण पार्टिक्यूलर "र" में मुआवजे की राशि के द्वारा कराया जाया है।

अतीर्कत निर्देशक इन्डिया० एवं लोक अधिकारी नगर मूम्हे स्वं नियन कर लोकान ने इसने प्रकार ७१८ फिल्क ३१-३-१ द्वारा इस कार्यालय को द्वियत किया जाया है कि मुख्यी राजनगर योजना के तमस्त २२ ज्ञाम अपुर नगर लंगुला

— 5 —

लीया में तीव्रता है एवं असर अधिनियम 1976 के प्रभाव है ऐसे उन्होंने यह दृष्टिकोण नहीं दी है तो असर अधिनियम की धारा - 10(3) की अधिकृता प्रदानीयता करवा दी है इसका नहीं ऐसी विवित में अवाई केन्द्रीय मूलि ज्ञानीया अधिनियम के अन्तर्गत शासित किये जा रहे हैं।

यह अर्ड जन दिनांक १३-५-७१ की पारित वर सम्प्रति दर्शक लोगोंका उपयोग के लिया जाता है।

संक्षेप : परिवाहन एवं संकलन तथा विकल्प

अ राम दिलते
पुराम (पुराम) दिलते
नवर दिलते जाह, अमृत ।

यह अवाडि आज दिनांक १७/७/९१ को राज्य सरकार के एवं क्रमांक एफ-८५६) नविआवश्यक दिनांक १८/७/९१ के इवारा अनुसूचित है कि उत्तर द्वारा हुआ है। अब इवस्तरा नम्बर १२०, १२३ मिन, १३३ मिन, १३१, १३२ मिन, १२५/२ मिन, व १३१ मिन का अवाडि दिनांक १७/७/९१ को सेरे इलास वेजित किया जा वार पाइल किया जाता है। सचिव, नविप्रांत को इस अवाडि की एक उत्तिनियजनक वर-पौर्ण के लिए लिखा जावे ए १२(२) के नोटिस जावे हैं।

भूमि अवनप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

क्र.सं.			मुकदमा नं.		बातेदार/ठेटदार		कलरों		रेक्टर "मोरक्के" को "मुआक्के" को		तालिकायम		अतिरिक्त		ज्ञान योग		ट.वि.फ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
1.	166/88	तुल्या, प्रभात, रामलंपार रामनारायण, नानचा पि. गिरणराम काम रेणर, तां. देह -उपरोक्त-	220	01-06	223मि.	00-06	233मि.	02-00	24,000/-	86,400/-	25,920/-	30,378/-	1,42,698/-					
2.	167/88	रयारसा, पत्र पैमा जाति रेणर बातेदार, मु. क.	221	00-17	24,000/-	20,400/-	6,120/-	7,172/-	33,692/-									
3.	168/88	हनमान, रामबक्त, मगवान पि. कर्मन्नाय जाति रेणर	222मि.	00-14	24,000/-	16,800/-	5040/-	5,906/-	27,746/-									
4.	169/88	द्याल, नार्थिया, पिल्या मोवा, छोटिया पि. मोहल्ला जाति रेणर -उपरोक्त-	225/2	00-01	231मि.	00-06	00-07	24,000/-	8,400/-	2,520/-	2,955/-	13,873/-						
							05-10	-	1,32,000/-	39,600/-	86,409/-	2,18,009/-						

नोट:- 1. सोलेशियम 30% कालम 8 पर मुआक्का रात्रि पर दिसा गया है।

2. अतिरिक्त रात्रि 12% की गणना पारा 4/1/91 का गजट दिनांक 7-7-88 से 11-6-91 तक की गई है।

संस्कृत अकादमिक अधिकारी
मानिसन अकादमिक अधिकारी
तेगर विकास कला और भाषा अकादमिक
जयपुर विकास प्राचीकरण
जयपुर